



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 16 अप्रैल, 1976

वैत्र 27, 1898, शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधाधिका अनुभाग-1

संख्या 1739/सत्रह-वि-1-52/76

लखनऊ, 16 अप्रैल, 1976

अधिसूचना

विषय

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पर दिनांक 16 अप्रैल, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6, 1976]

(जिसका उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

राज्य में कल्पित क्षेत्रों का औद्योगिक और पीर क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकारी का गठन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2—इस अधिनियम में—

(क) "सुविधा", के अन्तर्गत सड़क, जल-सम्भरण, सड़क पर रोशनी, विद्युत् सम्भरण, सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा-करकट का संग्रह, शोधन और निस्तारण और ऐसा अन्य सामुदायिक लोक्य, सेवा या सुविधा है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे;

(ख) "प्राधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी से है;

(ग) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी से है;

संक्षिप्त नाम
और विस्तार

परिभाषाएं

(घ) "औद्योगिक विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करे;

(ङ) "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है) जिसके अध्यासन में औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन है और 'अध्यासी' के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी भी है;

(च) "अन्तरिती" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, भी सम्मिलित है) जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और 'अन्तरिती' के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी भी है;

(छ) शब्द और पदावलि "भवन", "विकास", "भवन के परिनिर्माण" और "भूमि" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उनके लिये दिये गये हैं।

प्राधिकारी का गठन

3—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिये प्राधिकारी का गठन कर सकती है, जिसे "(क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकारी" कहा जायगा।

(2) प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे:—

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनका नामांकित

जो संयुक्त सचिव के पद के नीचे का न हो—पदेन सदस्य-अध्यक्ष

(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनका नामांकित जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो—पदेन सदस्य

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वायत्त शासन विभाग या उनका नामांकित जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो—पदेन सदस्य

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनका नामांकित जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो—पदेन सदस्य

(ङ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम—पदेन सदस्य

(च) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नाम-निर्दिष्ट पांच सदस्य

(छ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य-सचिव

(4) प्राधिकारी का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे।

(5) प्राधिकारी के बैठक का संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

(6) प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकारी में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधानमय न होगी।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

4—(1) प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और वह प्राधिकारी का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा,

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जायें,

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकारी द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय।

प्राधिकारी के कर्मचारिवृन्द

5—(1) ऐसे नियंत्रण और निबन्धन के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किये जायें, प्राधिकारी उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जितने उसके कृत्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक हों, और उनकी श्रेणी और पदाभिधान अवधारित कर सकता है।

(2) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगे जिस पर प्राधिकारी के साथ सहमति हो।

6--(1) प्राधिकारी का उद्देश्य औद्योगिक विकास क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना होगा।

प्राधिकारी को कृप्य

(2) प्राधिकारी को उद्देश्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा:--

(क) औद्योगिक विकास क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से, भूमि अर्जित करना;

(ख) औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिये योजना तैयार करना;

(ग) योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिये स्थलों का सीमांकन और विकास करना;

(घ) औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए अनुरचना की व्यवस्था करना;

(ङ) सुविधा की व्यवस्था करना;

(च) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिये प्लॉट का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अन्तरण करना;

(छ) भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना; और

(ज) उस प्रयोजन को अर्थात् ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिये किसी विशिष्ट स्थल या प्लॉट का उपयोग किया जायगा।

7--प्राधिकारी औद्योगिक विकास क्षेत्र में प्राधिकारी की किसी भूमि या भवन को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाये जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आवंटन या अन्य प्रकार से, बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकारी की शक्ति

8--(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनों के लिये प्राधिकारी निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे निदेश निर्गत कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे--

भवन के परिनिर्माण के सम्बन्ध में निदेश निर्गत करने की शक्ति

(क) किसी भवन के उत्सेध या अग्र भाग का स्थापत्य स्वरूप;

(ख) किसी स्थल के भवनों का संरक्षण;

(ग) भवनों में और उनके आस-पास रखे जाने वाले खुले स्थानों के बारे में और भवनों की ऊंचाई और उनके स्वरूप के बारे में निर्बंधन और शर्तें;

(घ) किसी स्थल पर परिनिर्मित किये जा सकने वाले आवासीय भवनों की संख्या;

(ङ) दुकानों, कर्मशालाओं, गोदामों, कारखानों या भवनों के परिनिर्माण का विनियमन;

(च) दीवाल, घेरा, बाड़ा या किसी अन्य रचना या स्थापत्य निर्माण की ऊंचाई और स्थिति का अनुरक्षण;

(छ) सुविधा का अनुरक्षण;

(ज) जिस प्रयोजन के लिए स्थल आवंटित किया गया हो, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने पर निर्बंधन;

(झ)--(1) उच्छिष्ट जल की समुचित निकासी,

(2) औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ के समुचित निस्तारण, और

(3) नगर के कूड़ा-करकट के समुचित निस्तारण की व्यवस्था किये जाने वाले साधन।

(2) प्रत्येक अन्तरिती उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेशों का पालन करेगा और यथा-शक्यशीघ्र किसी भवन का परिनिर्माण करेगा या ऐसे अन्य कदम उठायेगा जो ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये आवश्यक हों।

विनियमों का उल्लंघन करके भवनों के परिनिर्माण पर रोक

9—(1) कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन बनाये गये किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।

(2) प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भवनों के परिनिर्माण को विनियमित करने के लिये विनियम बना सकता है और ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

- (क) किसी भवन की वाह्य और विभाजक दीवाल, छत, फर्श और अन्य भाग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और उनकी स्थिति या अवस्थिति या निर्माण की रीति ;
- (ख) भवन की विन्यास योजना चाहे वह औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय हो ;
- (ग) आवास या रसोईघर के प्रयोजनार्थ उपयोग के लिये आशयित किसी भवन की छत और फर्श की ऊंचाई और ढाल ;
- (घ) वायु संचालन को सुनिश्चित करने और अग्नि से रोक-थाम के लिये किसी भवन या उसके भाग में वातायन या उसके पास छोड़ी जाने वाली जगह ;
- (ङ) किसी भवन की मंजिलों की संख्या और उनकी ऊंचाई ;
- (च) किसी भवन में प्रवेश और उससे निर्गम की व्यवस्था हेतु साधन ;
- (छ) रहने के कमरे और सोने के कमरे के रूप में उपयोग के लिये आशयित कमरों की न्यूनतम लम्बाई-चौड़ाई और वातायन की व्यवस्था ;
- (ज) भवनों के परिनिर्माण, समापन और अध्यासन के समुचित विनियमन को अपसर करने के लिये कोई अन्य विषय ;
- (झ) प्रमाण-पत्र जो योजना, संशोधित योजना और समापन आख्या को प्रस्तुत करने के लिये आवश्यक और आनुषंगिक हों।

स्थल या भवन का समुचित अनुरक्षण करने की अपेक्षा करने की शक्ति

10—यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की वशा या उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या वहां सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करे जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो और उसके पश्चात् उसका अनुरक्षण ऐसी रीति से करे जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात् ऐसा अन्तरिती या अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी स्वयं ऐसी कार्यवाही कर सकता है या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

कर का उद्ग्रहण

11—(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी सुविधा की व्यवस्था करने, अनुरक्षण करने या उसे जारी रखने के प्रयोजनों के लिये, प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, उसके अन्तरिती या अध्यासी से कर सकता है, परन्तु ऐसे कर का कुल भार ऐसे स्थल या भवन के वार्षिक मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, पदावलि "वार्षिक मूल्य" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 174 में दिया है।

(2) यदि राज्य सरकार, लोक-हित में आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अन्तरिती या अध्यासी या उसके किसी श्रेणी को उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत कर से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

12—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 6 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, प्राधिकारी पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि—

- (क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जायगा ;
- (ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ; और
- (ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा।

13—जहाँ कोई अन्तरिती किसी प्रतिफल-धन या उसकी किस्त या प्राधिकारी द्वारा, किसी स्थल या भवन के अन्तरण के कारण बेय किसी अन्य राशि या किसी पट्टा के सम्बन्ध में प्राधिकारी को देय किसी किराये का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है या जहाँ कोई अन्तरिती या अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किसी फीस या कर का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है, वहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह निवेश दे सकता है कि बकाया राशि के अतिरिक्त, उस राशि से अनधिक धनराशि यथास्थिति, अन्तरिती या अध्यासी से शास्ति के रूप में वसूली की जायगी।

शास्ति का आरोपण और बकाया की वसूली की रीति

14—(1) प्राधिकारी द्वारा किसी स्थल या भवन के अन्तरण के फलस्वरूप प्रतिफल-धन या उसके किसी किस्त के अंशदान की स्थिति में ऐसे अन्तरण की किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में या इस अधिनियम के अधीन निमित्त किसी नियम या विनियम के उल्लंघन की स्थिति में मुख्य-कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार अन्तरित स्थल या भवन को पुनः ग्रहण कर सकता है और उसके संबंध में संवत् सम्पूर्ण धन या उसके किसी भाग का, यदि कोई हो, समग्रहरण कर सकता है।

अन्तरण की शर्तों के उल्लंघन के लिए समग्रहरण

(2) जहाँ मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी स्थल या भवन के पुनर्ग्रहण का आदेश देता है, वहाँ कलेक्टर, उसके अध्याचन पर, उसका कब्जा उसे दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

15—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम, या इसके अधीन बनाये गये नियम या विनियमों या धारा 8 के अधीन निर्गत किसी निवेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध-दोष होने पर जर्मानी से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, और सतत अपराध की स्थिति में अतिरिक्त जर्मानी से दण्डनीय होगा जो प्रथम अपराध के लिये सिद्ध-दोष होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिये जिसमें ऐसा अपराध पूर्ववत् जारी रहे, एक सौ रुपये तक हो सकता है।

शास्ति

16—मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में निम्नलिखित प्रयोजन के लिये सहायता सहित या रहित प्रवेश करने या उसे खोलने का प्राधिकार दे सकता है—

प्रवेश आदि की शक्ति

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या ऐसे भूमि या भवन का दागबेल;

(ख) निर्माणाधीन कार्य का परीक्षण या सीवर या नाली के मार्ग का पता लगाना;

(ग) इस बात का पता लगाना कि किसी भवन का परिनिर्माण या पुनः परिनिर्माण स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन दी गयी स्वीकृति का उल्लंघन करके किया जा रहा है या किया गया है, और ऐसी नाप लेना और कोई-ऐसा कार्य करना जो ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(घ) कोई अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक हो:

परन्तु—

(1) इस प्रकार का कोई प्रवेश सूर्यादय और सूर्यास्त के समय के बीच के सिवाय और अध्यासी को, या यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी को, युक्तियुक्त सूचना दिये बिना नहीं किया जायगा;

(2) प्रत्येक दशा में, महिलाओं को, यदि कोई हों, भूमि या भवन के बाहर चले जाने का पर्याप्त अवसर दिया जायगा;

(3) जिस भूमि या भवन में प्रवेश करना हो उसके अध्यासियों को सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदा सम्यक् ध्यान रखा जायगा जहाँ तक कि उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया जाता है।

17—किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किये जाने पर, ऐसे क्षेत्र को, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना, या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना से अलग समझा जायगा।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

18—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

19—(1) प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकारी के कार्यकलाप के प्रशासन के लिए विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो।

विनियम बनाने की शक्ति

(2) विशेषतः और पूर्ववर्ती, शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) प्राधिकारी की बैठक बुलाना और करना, वह समय और स्थान जब और जहाँ ऐसी बैठक होगी, ऐसी बैठक में कार्य-संचालन, और उसमें गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या जो आवश्यक हो;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्तव्य;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र रजिस्टर का प्रपत्र;

(घ) प्राधिकारी की सम्पत्तियों का प्रबन्ध;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जाने वाली फीस;

(च) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जाय।

No.1739(2)-XVII-V-1—52-76

Dated Lucknow, April 16, 1976

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Kshetra Vikash Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 16, 1976.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT ACT, 1976

(U. P. ACT No. 6 of 1976)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to provide for the constitution of an Authority for the development of certain areas in the State into industrial and urban township and for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows:

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Definitions.

2. In this Act—

(a) "amenities" includes roads, water supply, street lighting and power supply, sewerage, drainage, collection, treatment and disposal of industrial waste and town refuse and such other community facilities, services or conveniences as the State Government may, by notification, specify to be an amenity for the purposes of this Act;

(b) "Authority" means the Authority constituted under section 3 of the Act;

(c) "Chief Executive Officer" means the officer appointed as such under section 4;

(d) "industrial development area" means an area declared as such by the State Government by notification;

(e) "Occupier" means a person (including a firm or body of individuals whether incorporated or not) who occupies a site or building within the industrial development area and includes his successors and assigns;

(f) "transferee" means a person (including a firm or other body of individuals, whether incorporated or not) to whom any land or building is transferred in any manner whatsoever, under this Act and includes his successors and assigns;

(g) the words and expressions "building", "development", "to erect a building" and "land" shall have the same meaning as assigned to them in the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

3. (1) The State Government may, by notification, constitute for the purposes of this Act, an Authority to be called "(Name of the area) Industrial Development Authority", for any industrial development area. Constitution of the Authority.

(2) The Authority shall be a body corporate.

(3) The Authority shall consist of the following :—

(a) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Industries Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary — *ex officio*. Member-Chairman.

(b) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Public Works Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary — *ex officio*. Member.

(c) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Local Self-Government Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary — *ex officio*. "

(d) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary — *ex officio*. "

(e) The Managing Director, U. P. State Industrial Development Corporation — *ex officio*. "

(f) Five members to be nominated by the State Government by notification.

(g) Chief Executive Officer. Member-Secretary.

(4) The headquarters of the Authority shall be at such place as may be notified by the State Government.

(5) The procedure for the conduct of the meetings for the Authority shall be such as may be prescribed.

(6) No act or proceedings of the Authority shall be invalid by reason of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Authority.

4. (1) The Chief Executive Officer of the Authority shall be appointed by the State Government and he shall be a whole-time officer of the Authority. Chief Executive Officer.

(2) The Chief Executive Officer shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowances and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government in this behalf.

(3) The Chief Executive Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be specified in the regulations or delegated to him by the Authority.

5. (1) Subject to such control and restrictions as may be determined by general or special orders of the State Government, the Authority may appoint such number of officers and employees as may be necessary for the performance of its functions, and may determine their grades and designations. Staff of the Authority.

(2) Subject as aforesaid the officers and other employees of the Authority shall be entitled to receive from the funds of the Authority such salaries and allowances and shall be governed by such other conditions of service as may be agreed upon with the Authority.

6. (1) The object of the Authority shall be to secure the planned development of the industrial development areas. Functions of the Authority.

(2) Without prejudice to the generality of the objects of the Authority, the Authority shall perform the following functions—

- (a) to acquire land in the industrial development area, by agreement or through proceedings under the Land Acquisition Act, 1894 for the purposes of this Act;
- (b) to prepare a plan for the development of the industrial development area;
- (c) to demarcate and develop sites for industrial, commercial and residential purposes according to the plan;
- (d) to provide infra-structure for industrial, commercial and residential purposes;
- (e) to provide amenities;
- (f) to allocate and transfer either by way of sale or lease or otherwise plots of land for industrial, commercial or residential purposes;
- (g) to regulate the erection of buildings and setting up of industries; and
- (h) to lay down the purpose for which a particular site or plot of land shall be used, namely for industrial or commercial or residential purpose or any other specified purpose in such area.

Power to the Authority in respect of transfer of land.

7. The Authority may sell, lease or otherwise transfer whether by auction, allotment or otherwise any land or building belonging to the Authority in the industrial development area on such terms and conditions as it may, subject to any rules that may be made under this Act, think fit to impose.

Power of issue directions in respect of erection of building.

8. (1) For the purposes of proper planning and development of the industrial development area, the Authority may issue such direction as it may consider necessary, regarding—

- (a) architectural features of the elevation or frontage of any building,
- (b) the alignment of buildings on any site,
- (c) the restrictions and conditions in regard to open spaces to be maintained in and around buildings and height and character of buildings,
- (d) the number of residential buildings that may be erected on any site,
- (e) regulation of erection of shops, workshops, warehouses, factories or buildings,
- (f) maintenance of height and position of walls, fences, hedges or any other structure or architecture constructions,
- (g) maintenance of amenities,
- (h) restriction of use of any site for a purpose other than that for which it has been allocated,
- (i) the means to be provided for proper (i) drainage of waste water,
- (ii) disposal of industrial waste, and (iii) disposal of town refuse.

(2) Every transferee shall comply with the directions issued under sub-section (1) and shall as expeditiously as possible erect any building or take such other steps as may be necessary to comply with such directions.

Ban on erection of buildings in contravention of regulations.

9. (1) No person shall erect or occupy any building in the industrial development area in contravention of any building regulation made under sub-section (2).

(2) The Authority may by notification and with the prior approval of the State Government make regulations to regulate the erection of buildings and such regulations may provide for all or any of the following matters, namely—

- (a) the materials to be used for external and partition walls, roofs, floors and other parts of a building and their position or location or the method of construction;
- (b) lay out plan of the building whether industrial, commercial or residential;
- (c) the height and slope of the roofs and floors of any building which is intended to be used for residential or cooking purposes;

- (d) the ventilation in, or the space to be left about any building or part thereof to secure circulation of air or for the prevention of fire;
- (e) the number and height of the storeys of any building;
- (f) the means to be provided for the ingress and egress to and from any building;
- (g) the minimum dimensions of rooms intended for use as living rooms or sleeping rooms and the provision of ventilation;
- (h) any other matter in furtherance of the proper regulation of erection, completion and occupation of buildings; and
- (i) the certificates necessary and incidental to the submission of plans amended plans and completion reports.

10. If it appears to the Authority that the condition or use of any site or building is prejudicially affecting or is likely to affect the proper planning of, or the amenities in any part of the industrial development area or the interests of the general public there, it may serve on the transferee or occupier of that site or building a notice requiring him to take such steps and within such period as may be specified in the notice and thereafter to maintain it in such manner as may be specified therein and in case such transferee or occupier fails to take such steps or to maintain it thereafter the Authority may itself take such steps or maintain it, and realize the cost incurred on it from such transferee or occupier.

Power to require proper maintenance of site or building.

11. (1) For the purposes of providing, maintaining or continuing any amenities in the industrial development area, the Authority may with the previous approval of the State Government, levy such taxes as it may consider necessary in respect of any site or building on the transferee or occupier thereof, provided that the total incidence of such tax shall not exceed twenty-five per cent of the annual value of such site or building.

Levy of tax.

Explanation—In this sub-section, the expression "annual value" shall have the same meaning as in section 174 of the U. P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959.

(2) If the State Government considers it necessary or expedient in the public interest it may, by a general or special order, exempt wholly or partly — any such transferee or occupier or any class thereof from the taxes levied under sub-section (1).

12. The provisions of Chapter VII and sections 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 and 58 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, as re-enacted and modified by the Uttar Pradesh President's Act (Re-enactment with Modifications) Act, 1974, shall *mutatis mutandis* apply to the Authority with adaptation that—

Applications of certain provisions of President's Act XI of 1973.

(a) any reference to the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to this Act;

(b) any reference to the Authority constituted under the aforesaid Act shall be deemed to be a reference to the Authority constituted under this Act; and

(c) any reference to the Vice-Chairman of the Authority shall be deemed to be a reference to the Chief Executive Officer of the Authority.

13. Where any transferee makes any default in the payment of any consideration money or instalment thereof or any other amount due on account of the transfer of any site or building by the Authority or any rent due to the Authority in respect of any lease, or where any transferee or occupier makes any default in the payment of any fee or tax levied under this Act, the Chief Executive Officer may direct that in addition to the amount of arrears, a further sum not exceeding that amount shall be recovered from the transferee or occupier, as the case may be, by way of penalty.

Imposition of penalty and mode of recovery of arrears.

14. (1) In the case of non-payment of consideration money or any instalment thereof on account of the transfer by the Authority of any site or building or in case of any breach of any condition of such transfer or breach of rules or regulations made under this Act, the Chief Executive Officer may resume the site or building so transferred and may further forfeit the whole or any part of the money if any paid in respect thereof.

Forfeiture for breach of conditions of transfer.

(2) Where the Chief Executive Officer orders resumption of any site or building under sub-section (1) the Collector may, on his requisition, cause possession thereof to be delivered to him and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

Penalty.

15. Any person who contravenes any provisions of this Act, or rules or regulations made thereunder or any directions issued under section 8, shall on conviction be punishable with fine which may extend to five thousand rupees and in the case of a continuing offence with further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

Powers of entry, etc.

16. The Chief Executive Officer may authorise any person to enter into or open any land or building with or without assistance, for the purposes of—

(a) making any inquiry, inspection, measurement or survey or taking levels of such land or building ;

(b) examining works under construction or of ascertaining the course of sewers or drains ;

(c) ascertaining whether any building is being or has been erected or re-erected without sanction or in contravention of any sanction given under this Act or the rules and regulations made thereunder and to take such measurements and do any such other acts as may be necessary for such purpose.

(d) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Act :

Provided that—

(i) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice to the occupier, or if there be no occupier, to the owner of the land or building ;

(ii) sufficient opportunity shall in every instance, be given to enable women, if any, to withdraw from such land or building ;

(iii) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purpose for which the entry is made, to the social and religious usages of the occupants of the land or building entered.

Overriding effect of the Act.

17. Upon any area being declared an industrial development area under the provisions of this Act, such area, if included in the master plan or the zonal development plan under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, or any other development plan under any other Uttar Pradesh Act, shall, with effect from the date of such declaration be deemed to be excluded from any such plan.

Power to make rules.

18. The State Government may by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

Power to make regulations.

19. (1) The Authority may with the previous approval of the State Government, make regulation not inconsistent with the provisions of this Act or the rules made thereunder for the administration of the affairs of the Authority.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulation may provide for all or any of the following matters, namely—

(a) the summoning and holding of meetings of the Authority the time and place where such meetings are to be held, the conduct of business at such meetings, and the number of members necessary to form a quorum thereat ;

(b) the powers and duties of the Chief Executive Officer ;

(c) the form of register of application for permission to erect a building ;

(d) the management of properties of the Authority ;

(e) fees to be levied in the discharge of its functions ;

(f) such other matters as are to be provided for in regulation.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।